**प्रेस नोट संख्या - 16**
**दिनांक 18.02.2026**
**सराहनीय कार्य थाना अमेठी व गौरीगंज पुलिस**
**हत्या का खुलासा, मृतक की 01 मोटरसाइकिल व आलाकत्ल के साथ 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 20.11.2024 को आवेदक श्री श्याम कुमार सिंह पुत्र स्व0 कामता सिंह निवासी पूरे खिचरन मजरे जगदीशपुर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी द्वारा थाना गौरीगंज पर लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 16.10.2024 को समय करीब 07.00 बजे शाम को हंसराज यादव पुत्र देवनाथ यादव निवासी ग्राम रौजा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी द्वारा अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ उनके घर आये थे तथा आवेदक के पुत्र पवन कुमार सिंह को अपने साथ लेकर चले गये जिसके बाद से उनका पुत्र घर वापस नहीं लौटा है। उक्त सूचना पर थाना गौरीगंज पर मु0अ0सं0 400/24 धारा 140(3) बी0एन0एस0 बनाम हंसराज यादव व तीन अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 18.02.2026 को क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री अखिलेश वर्मा व क्षेत्राधिकारी अमेठी श्री मनोज कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में निरीक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार यादव थाना व जनपद अमेठी मय हमराह द्वारा विभिन्न माध्यमों से साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में संदिग्ध अभियुक्त पवन कुमार यादव पुत्र दलसिंगार यादव निवासी ग्राम पूर सूबेदार मजरे मझवारा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि अभियोग में नामित अभियुक्त हंसराज यादव द्वारा पवन सिंह की हत्या कर लाश नहर में फेंक दी गयी थी तथा घटना के बाद पवन सिंह की मोटरसाइकिल हंसराज व उसने मिलकर घटना के दिन ही छिपा दी थी। उपरोक्त बयान के आधार पर पुलिस टीम द्वारा हंसराज यादव के घर दबिश दी गयी व हंसराज यादव पुत्र देवनाथ यादव निवासी ग्राम रौजा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त हंसराज यादव ने पूछताछ में बताया कि मृतक पवन सिंह से वह पूर्व से ही परिचित था। वह लोग एक-दूसरे के साथ अक्सर उठते–बैठते थे व घर आना जाना भी था। दिनांक 16.10.2024 को वह अपने घर से निकलकर अपने साथी पवन कुमार यादव के साथ पवन सिंह के घर गया था। उस दिन पवन कुमार सिंह को अपने साथ लेकर वह तीनों दिनभर घूमते टहलते व खाते पीते रहे। शाम 07.00 बजे के बाद वह पवन सिंह को लेकर अपनी ससुराल जा रहा था। जहां रास्ते में हंसराज यादव नें पवन सिंह के ऊपर 5,500/- रुपये जेब से निकाल लेने का आरोप लगाया था जिस बात को लेकर दोनों में विवाद होने लगा। आवेश में आकर हंसराज यादव नें हाथ में लिये लोहे की पाइप से जान से मारने की नीयत से पवन सिंह के सिर पर मार दिया जिससे पवन सिंह जमीन पर गिर गया। गिरने के उपरान्त हंसराज द्वारा लोहे की पाइप से वार कर पवन सिंह की हत्या कर दी गयी तथा शव को नहर में फेंक कर भाग गया। दूसरे दिन हंसराज यादव ने पवन कुमार यादव को पूरी बात बतायी व पवन कुमार यादव की सहायता से मृतक की मोटरसाइकिल व आलाकत्ल छिपा दिया था। निशानदेही पर नहर पटरी के पास से आला कत्ल लोहे की पाइप तथा अभियुक्त की ससुराल के एक कमरे से मृतक की पैसन प्रो मोटरसाइकिल संख्या यूपी 44 एबी 0397 व घटना के समय पहने कपड़े बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार अभियोग उपरोक्त में धारा 103(1), 238 बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–**
1. हंसराज यादव पुत्र देवनाथ यादव निवासी ग्राम रौजा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
2. पवन कुमार यादव पुत्र दलसिंगार यादव निवासी ग्राम पूर सूबेदार मजरे मझवारा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

**पंजीकृत अभियोग-**
- मु0अ0सं0 400/24 धारा 140(3), 103(1), 238 बी0एन0एस0 थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

**बरामदगी-**
1. आलाकत्ल 01 लोहे की पाइप।
2. मृतक की पैसन प्रो मोटरसाइकिल संख्या यूपी 44 एबी 0397।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**
1. श्री रवि कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना व जनपद अमेठी।
2. निरीक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार यादव थाना व जनपद अमेठी।
3. हे0का0 ओमप्रकाश राकेश थाना व जनपद अमेठी।
4. हे0का0 योगेश सिंह थाना व जनपद अमेठी।
5. का0 विनोद मौर्या थाना व जनपद अमेठी।